पाइला मुत्यालम्मा उर्फ सत्यवती

बनाम

पाइला सूरी डेमुडु और अन्य

(आपराधिक अपील संख्या 219/2007)

9 अगस्त 2011

[हरजीत सिंह बेदी और ज्ञान सुधा मिश्रा जे.जे.]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973:

एस.125 - भरण-पोषण -दावा, हक - अभिनिर्धारित : कानूनी स्थिति से कोई झगड़ा नहीं है कि पहली शादी के अस्तित्व के दौरान, दूसरी पत्नी द्वारा भरण-पोषण का दावा नहीं किया जा सकता है विचार किया गया-लेकिन दूसरी शादी के अनुष्ठापण के समय पहले के विवाह के अस्तित्व का प्रमाण और साक्ष्य, पति द्वारा पहले के विवाह के अस्तित्व के लिए दलील देते हुए प्रस्तुत किया जाना चाहिए और जब प्रतिवादी द्वारा विवाह के अस्तित्व के लिए दलील पेष की जाती है- पति, साक्ष्य प्रस्तुत करके इसे संतोषजनक ढंग से साबित करना होगा-वर्तमान मामले में, प्रतिवादी-पति अपनी दलील को स्थापित करने में विफल रहा कि उसकी पिछली शादी बिल्कुल भी चल रही थी, जिसके बारे में उसका दावा है कि उसका विवाह

वर्ष 1970 में हुआ था क्योंकि उसने नेतृत्व नहीं किया था। उनकी पिछली शादी के समर्थन में जरा सा भी सबूत नहीं था। यह मजबूत परिस्थिति प्रतिवादी-पति के खिलाफ थी।

125 - आवश्यक आवश्यकताएँ - अभिनिर्धारित : जब पति इस बात से इन्कार करता है कि आवेदक उसकी पत्नी नहीं है, तो मजिस्ट्रेट को धारा 125 के तहत कार्यवाही में यह पता लगाना होगा कि क्या पार्टियों के बीच कुछ विवाह समारोह हुआ था, क्या वे रहते थे अपने पड़ोसियों की नजर में पति और पत्नी के रूप में, क्या बच्चे संघ से बाहर थे - यदि धारा 125 के तहत कार्यवाही में दिए गए साक्ष्य यह अनुमान लगाते हैं कि आवेदक प्रतिवादी की पत्नी थी, तो यह पर्याप्त होगा मजिस्ट्रेट गुजारा भत्ता देने का आदेश पारित करेगा कार्यवाही के तहत-एक मामले में हमें. 125, मजिस्ट्रेट के पास मामले पर प्रथम दृष्टया विचार करने का अधिकार है और दावेदार पत्नी को भरण-पोषण देने से इनकार करने के लिए मजिस्ट्रेट के लिए पार्टियों के बीच वैवाहिक असमानता में विस्तार से जाना आवश्यक नहीं है। धारा 125 वास्तविक प्रबंधन पर आय और कानूनी रूप से विवाह नहीं, इस प्रकार, यदि मौजूदा मामले में धारा 125 की अन्य आवश्यकताएं पूरी होती हैं, तो विवाह की वैधता भरण-पोषण से इनकार करने का आधार नहीं होगी, अपीलकर्ता यह साबित करने में सफल रही कि वह तीन बच्चों के साथ प्रतिवादी की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी थी तीन बच्चों में से एक

की मृत्यु हो चुकी थी जबकि अन्य दो बालिग और अच्छी तरह से बसे हुए थे - यह आगे साबित हुआ कि सी प्रतिवादी-पति ने लगभग 25 वर्षों के प्रबंधन के बाद और भरण-पोषण के दावे को टालने के लिए अपीलकर्ता-पत्नी को छोड़ना शुरू कर दिया। पिछली शादी की एक कहानी गढ़ी गई थी, जिसके लिए वह स्पष्ट सबूत तो दूर, कोई भी सबूत पेश करने में विफल रहे- इस प्रकार, अपने पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के तहत उच्च न्यायालय के लिए यह खुला नहीं था कि वह विचारण न्यायालय के फैसले को रद्द कर दे और प्रतिवादी अपीलकर्ता-पत्नी को प्रति माह 500 रुपये का रखरखाव को भुगतान करने से मुक्त कर दे।

पुनरीक्षण क्षेत्राधिकारः रखरखाव का दायरा - के तहत दायर आवेदन। धारा 125 सीआर.पी.सी. अपीलकर्ता द्वारा प्रतिवादी के खिलाफ इस आधार पर कि अपीलकर्ता ने वर्ष 1974 में हिंदू रीति-रिवाजों और रीति-रिवाजों के अनुसार प्रतिवादी से शादी की, जिसके बाद वे एक सामान्य जोड़े के रूप में रहे और विवाह से 3 बच्चे पैदा हुए - विचारण न्यायालय ने प्रति माह 500 रुपये का मुआवजा दिया। अपीलकर्ता के पक्ष में- पुनरीक्षण पर, उच्च न्यायालय ने इस आधार पर पुरस्कार को रद्द कर दिया कि प्रतिवादी और अपीलकर्ता के बीच कोई वैध विवाह नहीं था, क्योंकि प्रतिवादी और उसकी पिछली पत्नी के बीच पहले का विवाह कायम था और विवाह के बाद से अपीलकर्ता के साथ बाद का विवाह वैध नहीं था और इसलिए, उसे कोई

रखरखाव देय नहीं था- अपील पर, अभिनिर्धारित किया : उच्च न्यायालय को अपने पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार में प्रवेश नहीं करना चाहिए था। विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष की जांच से पता चला कि अपीलकर्ता एक विवाहित पत्नी थी। एक प्रतिवादी के रूप में यह अच्छी तरह से स्थापित है कि पुनरीक्षण न्यायालय केवल तभी हस्तक्षेप कर सकता है जब आदेश में कोई अवैधता हो या प्रक्रिया में कोई भौतिक अनियमितता हो या क्षेत्राधिकार में कोई त्रुटि हो, उच्च न्यायालय को अपनी पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के तहत प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं हैं। (ब.) भरण-पोषण देने के आदेश में दर्ज साक्ष्यों की पुनः सराहना में - ऐसे मामले में जहां ट्रायल कोर्ट ने यह कहते हुए गुजारा भत्ता दिया है कि पत्नी की उपेक्षा की गई थी और वह भरण-पोषण की हकदार थी, पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की गुंजाइश बहुत सीमित है - (स.) यह प्रश्न कि क्या आवेदक एक विवाहित पत्नी है और क्या सी के बच्चे वैध/नाजायज हैं, तथ्य के सर्वोपरि प्रश्न होने के कारण, इसे दोबारा नहीं खोला जा सकता है और पुनरीक्षण न्यायालय अपने स्वयं के विचारों को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है- इसलिए, पुनरीक्षण में उच्च न्यायालय की आवश्यकता नहीं है किसी बच्चे के विवाह और संरक्षण के पक्ष में सकारात्मक निष्कर्ष में हस्तक्षेप करना - उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया जाता है और ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश को बहाल किया जाता है।

अपीलकर्ता ने सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण-पोषण आवेदन दायर किया। प्रतिवादी से इस आधार पर 500 रुपये प्रति माह का दावा किया गया कि उसने वर्ष 1974 में हिंदू रीति-रिवाजों और रीति-रिवाजों के अनुसार उससे शादी की थी, जिसके बाद वे एक सामान्य जोड़े की तरह रहने लगे और शादी के बाद उन्हें दो बेटियों और एक बेटा हुआ। जिसमें से एक बेटी की मौत हो गई। ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता के पक्ष में 500 रुपये प्रति माह का पुरस्कार पारित किया। एफ संशोधन पर, उच्च न्यायालय ने इस आधार पर पुरस्कार बीच कोई वैध विवाह नहीं था, क्योंकि प्रतिवादी और उसकी पिछली पत्नी के बीच पहले का विवाह कायम था और चूंकि अपीलकर्ता के साथ विवाह को अस्वीकार करते हुए, अपीलकर्ता के साथ बाद का विवाह वैध नहीं था और इसलिए, अपीलकर्ता को कोई भरण-पोषण देय नहीं था। उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए तत्काल अपील दायर की गई थी।

स्वीकार की गई अपील को न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया:

1. उच्च न्यायाल को अपने पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार में रखरखाव का निर्धारण करने वाले आवेदन की अनुमति देने से पहले मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष की जांच नहीं करनी चाहिए थी कि अपीलकर्ता प्रतिवादी की विवाहित पत्नी थी क्योंकि यह अच्छी तरह से तय है कि पुनरीक्षण न्यायालय केवल तभी हस्तक्षेप कर सकता है जब आदेश में कोई अवैधता

हो या प्रक्रिया में कोई भौतिक अनियमितता हो या क्षेत्राधिकार की कोई त्रुटि हो। उच्च न्यायालय को अपने पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के तहत भरण-पोषण देने के आदेश में दर्ज साक्ष्यों का पुनः मूल्यांकन करने की आवश्यकता नहीं है। अधिक से अधिक यह क्षेत्राधिकार की एक पेटेंट त्रुटि को ठीक कर सकता है। ऐसे मामले में जहां मजिस्ट्रेट ने यह कहते हुए गुजारा भत्ता दिया है कि पत्नी की उपेक्षा की गई है और पत्नी गुजारा भत्ता की हकदार है, पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की गुंजाइश बहुत सीमित है। पुनरीक्षण अदालत अपने स्वयं के निष्कर्ष को प्रतिस्थापित नहीं करेगी और मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज रखरखाव आदेश को रद्द कर देगी। पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के तहत, यह सवाल कि क्या आवेदक एक विवाहित पत्नी है और क्या बच्चे वैध/नाजायज हैं, तथ्य के प्रमुख प्रश्न हैं, फिर से नहीं खोले जा सकते हैं और पुनरीक्षण न्यायालय अपने स्वयं के विचारों को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है। इसलिए, उच्च न्यायालय को पुनरीक्षण में किसी बच्चे के विवाह और संरक्षण के पक्ष में सकारात्मक निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जहां निष्कर्ष नकारात्मक है, उच्च न्यायालय पुनरीक्षण पर विचार करेगा, सबूतों का पुनर्मूल्यांकन करेगा और इस निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि मजिस्ट्रेट द्वारा पहुंचाए गए निष्कर्ष कानूनी रूप से टिकाउ हैं या नहीं क्योंकि बच्चे और महिला दोनों नकारात्मक निष्कर्ष के जीवन पर बुरे परिणाम होते हैं। (पैरा 9, 10) (1007-एफ.एचः 1008-ए-ई)

संतोष (श्रीमती) बनाम नरेश पाल (1998) 8 एससीसी 447; पार्वती रानी साहू बनाम विष्णु साहू (2002) 10 एससीसी 510-पर भरोसा किया।

मोहब्बत अली खान बनाम मुहम्मद इबाहिम खान और अन्य। एआईआर 1929 पी.सी. 135; विमला (के) बनाम वीरस्वामी (के) (1991) 2 एससीसी 375: 1991 (1) एससीआर 904; सुरेश मंडल बनाम झारखण्ड राज्य 2006 (1) एआईआर झारखण्ड आर. 153-संदर्भित।

2. कानूनी स्थिति से कोई झगडा नहीं है कि पहली शादी के अस्तित्व और जीवित पत्नी (पहली पत्नी) के अस्तित्व के दौरान, दूसरी पत्नी द्वारा रखरखाव के दावे पर विचार नहीं किया जा सकता है। लेकिन दूसरी शादी को संपन्न करते समय पहले की शादी के अस्तित्व में रहने का साक्ष्य और प्रमाण, पति द्वारा पहले की शादी के अस्तित्व में रहने का साक्ष्य और प्रमाण, पति द्वारा पहले की शादी के अस्तित्व में रहने की दलील के साथ पेश किया जाना चाहिए। और जब प्रतिवादी-पति द्वारा विवाह के अस्तित्व में रहने की दलील उठाई जाती है, इसे साक्ष्य प्रस्तुत करके संतोषजनक ढंग से साबित किया जाना चाहिए। प्रतिवादी-पति अपनी दलील को स्थापित करने में विफल रहा कि उसकी पिछली शादी बिल्कुल भी चल रही थी, जिसके बारे में उसका दावा है कि उसने वर्ष 1970 में शादी की थी, क्योंकि उसने अपनी पिछली शादी के समर्थन में रत्ती भर भी सबूत पेश नहीं किया है, जिसमें यह तथ्य भी शामिल है कि उसने एक भी

उत्पादन नहीं किया है। अपनी पूर्व शादी के सबूत के गवाह के रूप में तथाकथित पहली पत्नी को छोडकर गवाह। यह मजबूत परिस्थिति प्रतिवादी-पति पर भारी पडती है। (पैरा 12) (1009-डी-एच; 1010-ए)

सवितावेन सोमाभाई भाटिया बनाम स्टेट ऑफ गुजरात और वगैरा (2005) 3 एससीसी 636 रू 2005 (2) एससीआर 638 - विशिष्ट।

3.1 सीआरपीसी की धारा 125 के तहत कार्यवाही के लिए आवश्यक विवाह के प्रमाण की प्रकृति आईपीसी की धारा 494 के तहत किसी अपराध के लिए आपराधिक कार्यवाही के रूप में इतना मजबूत या निर्णायक होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि धारा 125 सीआरपीसी के तहत मजिस्ट्रेट का क्षेत्राधिकार है। निवारक प्रकृति का होने के कारण, मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारण सिविल कोर्ट के अंतिम निर्धारण के अधीन है। जब पति इस बात से इनकार करता है कि आवेदक उसकी पत्नी नहीं है, तो सीआरपीसी की धारा 125 के तहत कार्यवाही में मजिस्ट्रेट को बस यह पता लगाना होता है कि क्या दोनों पक्षों के बीच कोई विवाह समारोह हुआ था, क्या अपने पडोसियों की नजर में वे पति पत्नि के रूप में रह चुके हैं क्या बच्चे संघ से पैदा हुए थे। यदि धारा 125 सीआरपीसी के तहत साक्ष्य यह धारणा बनाता है कि आवेदक प्रतिवादी की पत्नी थी, यह मजिस्ट्रेट के लिए कार्यवाही के तहत रखरखाव देने का आदेश पारित करने के लिए पर्याप्त होगा। लेकिन अगर पति शादी की वैधता पर सवाल उठाना चाहता है, तो उसे सिविल

कोर्ट में एक घोषणात्मक मुकदमा लाना होगा, जहां सभी प्रश्न शामिल हो सकते है, जिसमें वह यह तर्क दे सकता है कि शादी वैध शादी नहीं थी या धोखाधडी थी या उस पर जोर-जबरदस्ती की गई। सीआरपीसी की धारा 125 के तहत एक मामले में, मजिस्ट्रेट को मामले पर प्रथम दृष्टया विचार करना होता है और दावेदार पत्नी को भरण-पोषण से इनकार करने के लिए मजिस्ट्रेट के लिए पार्टियों के बीच वैवाहिक असमानता के बारे में विस्तार से जाना आवश्यक नहीं है। धारा 125, सी.आर.पी.सी. वास्तविक विवाह के आधार पर आगे बढता है न कि कानूनी विवाह के आधार पर। इस प्रकार, यदि सीआरपीसी की धारा 125 की अन्य आवश्यकताएं लागू/पूरी होती हैं तो विवाह की वैधता भरण-पोषण से इनकार करने का आधार नहीं होगी। (पैरा 13,14) (1010-बी-जी; 1011-ए-बी)

जमुना बाई बनाम अनंत राय एआईआर 1988 एससी 793; सेतु रथिनम बनाम बरबाद (1970) 1 एससीडब्ल्यूआर 589; राजथी वी.सी. गणेशन एआईआर 1999 एससी 2374; 1999 (3) एससीआर 1047- पर भरोसा किया।

3.2 जब अपीलकर्ता के मामले का परीक्षण उक्त कानूनी स्थिति के आधार पर किया जाता है, तो यह पर्याप्त रूप से स्पष्ट होता है कि अपीलकर्ता यह साबित करने में सफल रही है कि वह प्रतिवादी की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी थी, जिसके तीन बच्चे थे, जिनमें से एक की मृत्यु

हो गई थी, जबकि अन्य दो बालिग हैं, अच्छी तरह से बसे हुए हैं। यह आगे साबित हुआ कि प्रतिवादी-पति ने अपीलकर्ता-पत्नी को छोड़ना शुरू कर दिया। शादी के लगभग 25 साल बाद और भरण-पोषण के दावे से बचने के लिए, पिछली शादी की एक कहानी गढी गई, जिसके लिए वह स्पष्ट सबूत तो दूर कोई भी सबूत पेश करने में असफल रहा। इस प्रकार, अपने पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के तहत उच्च न्यायालय के लिए यह खुला नहीं था कि वह ट्रायल कोर्ट के निष्कर्ष को रद्द कर दे और प्रतिवादी को अपीलकर्ता को 500/- रुपये प्रतिमाह के रखरखाव का भुगतान करने से मुक्त कर दे-पत्नी। हाईकोर्ट ने सीआरपीसी की धारा सी 125 के तहत अपीलकर्ता-पत्नी को भरण-पोषण देने के आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका पर विचार करते हुए अपने क्षेत्राधिकार का गलत इस्तेमाल किया। उच्च न्यायालय के फैसले और आदेश को रद्द कर दिया गया है और मजिस्ट्रेट द्वारा अपीलकर्ता के पक्ष में उसे गुजारा भत्ता देने का आदेश बहाल किया गया है। (पैरा 15 और 16) (1011-सी-जी)

केस कानून संदर्भ

एआईआर 1929 पी.सी. 135	उल्लेखित किया	पैरा 1
1991 (1) एससीआर 904	उल्लेखित किया	पैरा 7
2006 (1) एआईआर झार. आर 153	उल्लेखित किया	पैरा 9

(1998) 8 एससीसी 447	उल्लेखित किया	पैरा 10
(2002) 10 एससीसी 510	उल्लेखित किया	पैरा 10
2005 (2) एससीआर 638	विशिष्ट	पैरा 11
एआईआर 1998 एससी 793	उल्लेखित किया	पैरा 13
(1970) 1 एससीडब्ल्यूआर 589	उल्लेखित किया	पैरा 14
1999 (3) एससीआर 1047	उल्लेखित किया	पैरा 14

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकारः आपराधिक अपील संख्या 219/2007

2004 के आपराधिक पुनरीक्षण मामले संख्या 234 में हैदराबाद स्थित आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 09.09.2005 से।

वाई राजा गोपालन राव, विस्मई रथ, हितेंद्र नाथ राजा, वी.एन. रघुपति, डी. महेश बाबू, रमेश अल्लंकी, सविता ढांडा उपस्थित पक्षों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा सुनाया गया।

ज्ञान सुधा मिश्रा, जे. 1. कानून के तहत, दूसरी पत्नी जिसका विवाह उसके पति के पिछले विवाह के पत्नी के जीवित रहने के कारण शून्य है,

वह कानूनी रूप से विवाहित पत्नी नहीं है और इसलिए, वह इसकी हकदार नहीं है। सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण-पोषण एकमात्र कारण यह है कि''

ह' '। (एआईआर 1929 पी.सी.) लेकिन, जब एक पुरुष और एक महिला कई वर्षों तक लगातार एक साथ रहते है तो कानून विवाह के पक्ष में और उपपत्नी के खिलाफ भी मानता है और जब यह साबित हो जाता है कि पुरुष और महिला एक साथ पुरुष और पत्नी के रूप में रहते थे, तो कानून तब तक यह मान लेगा, जब तक इसके विपरीत स्पष्ट रूप से डी साबित हुआ है, कि वे वैध विवाह के परिणामस्वरूप एक साथ रह रहे थे, न कि उपपत्नी की स्थिति में। प्रिवी काउंसिल से लेकर इस स्तर तक कई न्यायिक घोषणाओं में उस धारणा के दायरे पर विचार किया गया है जो एक साथ रहने वाले दो व्यक्तियों के बीच विवाह के संबंध के रूप में निकाली जा सकती है। लेकिन, जब पति द्वारा उपेक्षित पत्नी के दावे को नकारने का प्रयास किया जाता है, जिसमें उसे इसे विशेष दलील पर रखा गया है कि वह पहले से ही शादीशुदा है, तो अदालत पहले की शादी के सख्त सबूत पर जोर देगी और इसका उद्देश्य यह है कि महिलाओं और बच्चों को निराश्रित के रूप में जीने से बचाना और यह भी स्पष्ट रूप से आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 को शामिल करने का उद्देश्य है जो भरण-पोषण प्रदान करता है।

2. एक अलग रह रही पत्नी के अनुरोध पर की गई इस अपील में एक बार फिर इस न्यायालय से सीआरपीसी की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता देने के संबंध में सवाल पर गहराई से विचार करने और निर्णय लेने का अनुरोध किया गया। जो संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अनुमति दिए जाने के बाद उत्पन्न होता है और निर्णय के विरुद्ध निर्देशित होता है। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित हैदराबाद में आंध्रप्रदेश के उच्च न्यायालय ने आपराधिक पुनपरीक्षण संख्या 234/2004 में, जिसके तहत विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपीलकर्ता को प्रति माह 500/-रुपये की राशि देने के पारिवारिक न्यायालय, विशाखापत्तनम के आदेश दिनांकित 19.09.2005 को रद्द कर दिया था। प्रतिवादी-पति ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायाल के समक्ष एक आपराधिक पुनरीक्षण के माध्यम से इस आदेश पर आपत्ति जताई, जिसे अनुमति दे दी गई और अपीलकर्ता-पत्नी को भरण-पोषण देने का आदेश रद्द कर दिया गया।

3. अपीलकर्ता-पाइला मुत्यालम्मा/सत्यवती ने शुरू में सीआर.पी.सी. की धारा 125 के तहत एम.सी. नं. 145/2002 के साथ एक आवेदन दायर किया। यहां प्रतिवादी अपने पति पाइला सूरी डेमुडु से प्रतिमाह 500/-रुपये का दावा कर रही हैं, इस आधार पर कि उन्होंने उनसे वर्ष 1974 में विशाखापत्तनम के जगन्नाधा स्वामी मंदिर में हिंदू रीति-रिवाजों और रीति-रिवाजों के अनुसार शादी की थी, जिसके बाद वे एक सामान्य दम्पत्ति के

रूप में रहने लगे। विवाह के बाद उन्हें दो बेटियां और एक बेटा हुआ, जिनमें से एक बेटी की मृत्यु हो गई। जीवित बेटी की शादी हो चुकी है और 22 साल का बेटा भी डॉक लेबर बोर्ड में कार्यरत है, जिसे उसके पिता, प्रतिवादी-पति ने स्वयं नियुक्त किया था। हालांकि, अपीलकर्ता-पत्नी और प्रतिवादी-पति के रिश्ते बाद में तनावपूर्ण हो गए जब प्रतिवादी बुरी आदतों का आदी हो गया और उसने अपीलकर्ता-पत्नी की उपेक्षा और अपेक्षा करना शुरू कर दिया क्योंकि वह उसे भोजन और कपड़े जैसी बुनियादी सुविधाएं भी प्रदान करने में विफल रहा। शराब के नशे में उसे बार-बार पीटता। उसने उसे छोड दिया और दूसरी महिला के साथ रहने लगा जिस पर अपीलकर्ता को प्रतिवादी पति से भरण-पोषण का दावा करने के लिए मजबूर किया गया।

4. हालांकि, प्रतिवादी-पति ने आरोपों से साफ इनकार कर दिया और यहां तक कह दिया कि अपीलकर्ता उसकी पत्नी नहीं है क्योंकि उसकी पहले ही वर्ष 1970 में लंकिवनिपालेम की मूल निवासी कोलुपुरू मुत्यालम्मा से शादी हो चुकी थी और उसके पहली शादी से बच्चे भी थे। उसने वर्तमान अपीलकर्ता से कभी शादी नहीं की। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अपीलकर्ता ने किसी अन्य व्यक्ति से शादी की है। तथा वर्ष 1991-1992 में उसके घर के निर्माण के समय उसने 2.5 लाख रूपये ऋण के रूप में दिए थे, उसने ऋण राशि के पुनर्भुगतान से बचने के लिए मुकदमेबाजी शुरू कर

दी।

5. साक्ष्यों की सराहना और जांच के बाद विद्वान ट्रायल मजिस्ट्रेट ने माना कि अपीलकर्ता वास्तव में प्रतिवादी नम्बर 1 की पत्नी है, जिसे प्रतिवादी ने छोड दिया था और इसलिए उसने प्रति माह 500/- रूपये का भरण-पोषण तय किया। अपीलकर्ता और प्रतिवादी-पति को यह राशि अपीलकर्ता-पत्नी को देने का निर्देश दिया गया। जैसा कि पहले ही कहा ही कहा जा चुका है, प्रतिवादी -पति ने इसका विरोध किया था, जिसने उच्च न्यायालय के समक्ष एक पुनरीक्षण याचिका दायर करके ट्रायल कोर्ट के आदेश पर आपत्ति की। उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह मानते हुए प्रसन्नता व्यक्त की कि प्रतिवादी-पति और अपीलकर्ता पत्नी के बीच कोई वैध विवाह नही था, क्योकि अपीलकर्ता और एक अन्य महिला-कोलुपुरू मुत्यालम्मा के बीच पहले का विवाह विद्यमान था और चूंकि विवाह के साथ अपीलकर्ता को 1970 के पहले विवाह को अस्वीकार किए बिना संम्पन्न कराया गया था, बाद की शादी वैध नही थी और इसलिए अपीलकर्ता -पत्नी को कोई भरण-पोषण नही दिया जा सकता था। आक्षेपित आदेश में व्यक्त उच्च न्यायालय के इस दृष्टिकोण से व्यथित महसूस करते हुए, अपीलकर्ता - पत्नी ने यह अपील दायर की है।

6. अपीलकर्ता-पत्नी के विद्वान वकील ने वास्तव में तर्क दिया है कि उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए

तथ्य के निष्कर्ष को उलटने में गलती की और रिकॉर्ड पर उपलब्ध पुख्ता सबूतों के बावजूद तथ्य के शुद्ध प्रश्न में हस्तक्षेप किया। यह दिखाने के लिए कि अपीलकर्ता प्रतिवादी-पति की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी थी, जो 1974 में अपनी शादी शादी के बाद से किसी अन्य सामान्य जोड़े की तरह एक साथ रह रही थी और यह केवल वर्ष 2001 में है, प्रतिवादी ने अपीलकर्ता को उसकी बुराईयो के कारण छोडना शुरू कर दिया। और उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता के बेटे और बेटी के साक्ष्य को भी अंदाज कर दिया, लेकिन प्रतिवादी-पति के साक्ष्य पर भरोसा किया। तथा प्रतिवादी-पति के बचाव मामले पर भरोसा किया कि उसने पहले ही वर्ष 1970 में एक अन्य महिला से शादी कर ली थी, हालांकि तथाकथित पहली पत्नी को छोडकर किसी अन्य गवाह को नीचे की अदालतो के समक्ष गवाह के रूप में पेश नही किया गया था।

7. अपीलकर्ता के वकील ने इस तथ्य पर और भी अधिक जोर दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता को भरण-पोषण देने के आदेश में उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप नही किया जाना चाहिए था क्योकि यह केवल वर्ष 1970 के पिछले विवाह के अस्तित्व के बारे में झूठी कहानी स्थापित करके भरण-पोषण देने के आदेश को दरकिनार करने के लिए उठाया गया था। अपनी दलील के समर्थन में, वकील ने विमला (के) बनाम वीरास्वामी (के)2 के मामले में दिए गये फैसले पर भरोसा किया, जिसमें

इस न्यायालय के तीन विद्वान न्यायाधीशो की डी बेंच ने यह फैसला सुनाया था कि जब एक पति द्वारा यह दलील दी जाती है कि पहले की शादी के अस्तित्व में रहने के कारण विवाह शून्य था, इसके लिए स्पष्ट और सख्त सबूत की आवश्यकता होती है और सख्त सबूत का बोझ पति पर है। इस स्तर पर उपरोक्त मामले में उनके आधिपत्य की टिप्पणियो को उद्धृत करना प्रासंगिक और सार्थक है जिसका निम्नलिखित प्रभाव थाः

> "दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 एक सामाजिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए है। इसका उद्देश्य आवारापन और गबीरी को रोकना है। यह परित्यक्त पत्नी को भोजन, कपडे और आश्रम की आपूर्ति के लिए त्वरित उपाय प्रदान करता है। जब कोई प्रयास किया जाता है। है पति द्वारा उपेक्षित पत्नी के उस दावे को अस्वीकार करने के लिए जिसमें उसे एक रखी हुई रखैल के रूप में दर्शाया गया है, इस दलील पर कि वह पहले से ही शादीशुदा है, अदालत पहले की शादी के सख्त सबूत पर जो देगी। हिंदू कानून के तहत, पहली शादी के जीवन रहने के कारण दूसरी शादी शून्य है। और वह कानूनी रूप से विवाहित पत्नी नही है। इसलिए, वह इसकी हकदार नही है। धारा 125 के तहत भरण- पोषण। कानून में ऐसा प्रावधान जो दूसरी पत्नी को धारा 125, सीआरपीसी के

तहत अपने पति से भरण-पोषण प्राप्त करने से वंचित कर देता है, केवल इस कारण से कि पारंपरिक रूप में किए गए विवाह समारोह में कानूनी पवित्रता का अभाव है, केवल इसे ही लागू किया जा सकता है। जब पति संतोषजनक ढंग से कानूनी और वैध विवाह के अस्तित्व को साबित करता है, खासकर तब जब धारा 125 महिलाओ और बच्चो की सुरक्षा के लिए सामाजिक न्याय का एक उपाय है।''

8. यहां विचारधीन मामले में, प्रतिवादी-पति ने अपीलकर्ता की शादी को पहले की शादी के अस्तित्व के कारण शून्य मानकर खारिज करने की मांग की है। लेकिन ऐसा करते समय उन्होने एक और मनगढ़त कहानी भी गढी कि अपीलकर्ता पहले से ही एक अन्य महिला से शादी कर चुकी है और चूंकि उस पर अपीलकर्ता को 2.50 लाख रूपये की राशि बकाया है, जो उसने उसे ऋण के रूप में दी थी। अपीलकर्ता ने भरण-पोषण के दावे की झूठी दलील दी है। इस प्रकार, प्रतिवादी-पति एक सांस में कहता है कि अपीलकर्ता के साथ उसकी दूसरी शादी उसकी पिछली शादी के अस्तित्व को देखते हुए शून्य है और अगले में वह कहता है कि अपीलकर्ता-पत्नी ने झूठी याचिका दायर की है जैसा कि वह चाहती थी वह उस राशि के पुनर्भुगतान के दायित्व से मुक्त हो जाए जो उस पर प्रतिवादी को बकाया थी।

9. वास्तव में, हम इस दलील में भी पर्याप्त तथ्य पाते है कि उच्च न्यायालय को अपने पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार में मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष की जांच नही करनी चाहिए थी कि अपीलकर्ता प्रतिवादी की विवाहित पत्नी थी, अनुमति देने से पहले भरण-पोषण का निर्धारण करने वाला आवेदन क्योंकि यह अच्छी तरह से स्थापित है कि पुनरीक्षण न्यायालय केवल तभी हस्तक्षेप कर सकता है जब आदेश में कोई अवैधता हो या प्रक्रिया में कोई भौतिक अनियमितता हो या क्षेत्राधिकार की कोई त्रुटि हो। उच्च न्यायालय को अपने पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के तहत भरण-पोषण देने के आदेश में दर्ज साक्ष्यो की पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता नही है; अधिक से अधिक यह क्षेत्राधिकार की पेटेट त्रुटि को ठीक कर सकता है। इसे निर्णयों की एक शृंखला में रखा गया है। सुरेश मंडल बनाम झारखंड राज्य (2006 (1) एआईआर झारखण्ड आर. 153) सहित एक ऐसे मामले में जहॉ विद्वान मजिस्ट्रेट ने यह कहते हुए गुजारा भता दिया है कि पत्नी की उपेक्षा की गई है और पत्नी गुजारा भत्ता की हकदार है, पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की गुंजाइश बहुत सीमित है। पुनरीक्षण न्यायालय अपने स्वयं के निष्कर्ष को प्रतिस्थापित और मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज रखरखाव के आदेश को रद्द नहीं करेगा।

10. धारा 125, सीआरपीसी के तहत कार्यवाही में पारित रखरखाव आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण में, पुनरीक्षण न्यायालय के पास साक्ष्य का

पुनर्मूल्यांकन करने और अपने स्वयं के निष्कर्षो को प्रतिस्थापित करने की कोई शक्ति नही है। पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के तहत, यह सवाल कि क्या आवेदक एक विवाहित पत्नी है, बच्चे वैध/नाजायज है, तथ्य के प्रमुख प्रश्न है, फिर से नही खोले जा सकते है और पुनरीक्षण न्यायालय अपने स्वयं के विचारो को प्रतिस्थापित नही कर सकता है। इसलिए, उच्च न्यायालय को पुनरीक्षण में किसी बच्चे के विवाह और संरक्षण के पक्ष में सकारात्मक निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नही है। लेकिन जहां निष्कर्ष नकारात्मक है, उच्च न्यायालय पुनरीक्षण पर विचार करेगा, सबूतो का पुनर्मूल्यांकन करेगा और निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि मजिस्ट्रेट द्वारा पहुंचाए गए निष्कर्ष कानूनी रूप से टिकाउ है या नही, क्योकि नकारात्मक निष्कर्ष के बच्चे और महिला दोनों के जीवन पर बुरे परिणाम होते है। सुप्रीम कोर्ट ने संतोष (श्रीमती) बनाम नरेश पाल ((1998) 8 एससीसी 447) के मामले में और पार्वती रानी साहू बनाम विष्णु साहु ((2002) 10 एससीसी 510) के मामले में भी यही विचार व्यक्त किया था। इस प्रकार, सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण-पोषण का निर्धारण करते समय मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश की प्रभावकारिता और मूल्य पर अधिकारियो के कैटेना से जो अनुपात निर्णय निकलता है। यह है कि पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय परेशान नही किया जाना चाहिए।

11. हालांकि, प्रतिवादी पति जी के वकील ने अपनी दलील के समर्थन

में सविताबेन सोमाभाई भाटिया बनाम गुजरात राज्य और अन्य ((2005) 3 एससीसी 636) के मामले का भी हवाला दिया है कि दूसरी पत्नी द्वारा भरण- पोषण का दावा तब तक निरन्तर नही रखा जा सकता जब तक कि जीवित पति/पत्नी के होते हुए हिन्दू रीति-रिवाजो के अनुसार किया गया पति का पिछला विवाह अमान्य साबित न हो जाए और इसलिए, दूसरी पत्नी धारा 125 सीआरपीसी या हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के लाभ की हकदार नही है।

12. इसमें कोई संदेह नही है कि इस उद्धृत मामले में विद्वान न्यायाधीन यह मानते हए प्रसन्न थे कि धारा 125 के दायरे को पत्नी अभिव्यक्ति में दूसरी महिला जो कानूनी रूप से विवाहित नही हो को शामिल करने के लिए कोई कृत्रम परिभाषा पेश करके नही बढाया जा सकता है। लेकिन इससे यह भी माना गया है कि साक्ष्य से यह दर्शाया है कि प्रतिवादी पति की दूसरी पत्नी के साथ कथित शादी के समय उसका जीवनसाथी जीवित था। कानूनी स्थिति से कोई झगडा नही है कि पहली शादी के अस्तित्व और जीवित पत्नी (पहली पत्नि) के अस्तित्व के दौराने, दूसरी पत्नी द्वारा रख रखाव के दावे पर विचार नही किया जा सकता है। लेकिन दूसरी शादी को संपन्न करते समय पहले की शादी के अस्तित्व में रहने का साक्ष्य और प्रमाण, पति द्वारा पहले की शादी के अस्तित्व में रहने की दलील के साथ पेश किया जाना चाहिए और जब प्रतिवादी-पति द्वारा

विवाह के अस्तित्व में रहने की दलील उठाई जाती है, इसे साक्ष्य प्रस्तुत करके संतोषजनक ढंग से साबित किया जाना चाहिए। सविता बेन के मामले सुप्रीम कोर्ट में भी विद्वान न्यायाधीशो द्वारा यही दृष्टिकोण अपनाया गया था, जिस पर प्रतिवादी - पति ने भी भरोसा किया है। इसलिए, भले ही प्रतिवादी-पति द्वारा इस मामले में भरोसा किए गए अनुपात को लागू किया जाए, प्रतिवादी-पति अपनी दलील को स्थापित करने में विफल रहा है कि उसकी पिछली शादी बिल्कुल भी अस्तित्व मे थी, जिसके बारे में उसका दावा है कि उसने वर्ष 1970 में शादी की थी। उसने अपनी पिछली शादी के समर्थन में रत्ती भर भी सबूत पेश नही किया है, जिसमें यह तथ्य भी शामिल है कि उसने अपनी पिछली शादी के सबूत के तौर पर तथाकथित पहली पत्नी के अलावा एक भी गवाह पेश नही किया है। यह मजबूत यहां उपर दर्ज तथ्यों के अलावा एक परिस्थिति, प्रतिवादी-पति के खिलाफ जाती है।

13. हम जमुना बाई बनाम अनंत राय एआईआर ((1988) एससी 793 पैरा 4, 5 और 8) के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारण एक महत्वपूर्ण कानूनी पहलू पर भी ध्यान दे सकते है, कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत कार्यवाही के लिए विवाह के प्रमाण की प्रकृति आवश्यक है। आईपीसी की धारा 494 के तहत किसी अपराध के लिए अपराधिक कार्यवाही के रूप में इतना मजबूत या निर्णायक होने की आवश्यकता नही

है, क्योकि धारा 125 सीआरपीसी के तहत मजिस्ट्रेट का क्षेत्राधिकार प्रकृति में निवारक होने कारण, वैवाहिक विवाद में सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को हडप नही सकता है। धारा का उद्देश्य त्वरित उपचार प्रदान करना है, और पार्टियो की स्थिति के बारे में मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारण सिविल कोर्ट के अंतिम निर्धारण के अधीन है, जब पति इस बात से इंकार करता है कि आवेदक उसकी पत्नी नही है, ये सब मजिस्ट्रेट को सीआरपीसी की धारा 125 के तहत कार्यवाही में यह पता लगाना होना कि क्या दोनो पक्षो के बीच कोई विवाह समारोह हुआ था, क्या वे अपने पडोसियो की नजरो में पति-पत्नी के रूप में रहे थे, क्या संघ से उनके बच्चे पैदा हुए थे।

14. सेतु रथिनम बनाम बारबरा (1970) 1 एसीडब्ल्यूआर 589) के मामले में यह भी निर्धारित किया गया था कि यदि उपरोक्त बिंदुओ पर सकारात्मक सबूत थे, तो मजिस्ट्रेट संस्कार के अनुसार विवाह की वैधता के बारे में कानून के जटिल प्रश्नो में प्रवेश नही करेगा। तत्व या व्यक्तिगत कानून जैसे, जो सिविल न्यायालय द्वारा निर्धारण के लिए प्रश्न है। यदि धारा 125 सीआरपीसी के तहत साक्ष्य से यह धारणा बनाता है कि आवेदक प्रतिवादी की पत्नी थी, यह मजिस्ट्रेट के लिए कार्यवाही के तहत रख रखाव देने का आदेश पारित करने के लिए पर्याप्त होगा। लेकिन अगर पति विवाह की वैधता पर सवाल उठाना चाहता है, तो उसे सिविल कोर्ट में एक घोषणात्मक मुकदमा लाना होगा, जहॉ सभी प्रश्न शामिल हो सकते है,

जिसमें वह यह तर्क दे सकता है कि विवाह वैध विवाह नही था या उसके साथ धोखाधड़ी या जबरदस्ती की गयी। इस दृष्टिकोण को सुदृढ़ करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसे आगे राजाथी बनाम सी. गणेशन (एआईआर 1999 एससी 2374) के मामले में भी निर्धारित किया कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत मामले में मजिस्ट्रेट को मामले पर प्रथम दृष्टया विचार करना होगा और मजिस्ट्रेट के लिए यह आवश्यक नही है कि वह वैवाहिक संबंध में जाए। दावेदार की पत्नी को भरण पोषण देने से इंकार करने के लिए पार्टिया के बीच असमानता का विस्तार से वर्णन किया गया है। धारा 125 सीआरपीसी वास्तविक विवाह के आधार पर आगे बढता है न कि कानूनी विवाह के आधार पर। इस प्रकार, यदि सीआरपीसी की धारा 125 की अन्य आवश्यकताए लागू होती है तो विवाह की वैधता भरण-पोषण से इंकार करने का आधार नही होगी।

15. जब अपीलकर्ता के मामले का परीक्षण उपरोक्त कानूनी स्थिति के अनुसार देखा जाता है। तो यह पर्याप्त रूप से स्पष्ट है कि अपीलकर्ता यह साबित करने में सफल रही है कि वह प्रतिवादी की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी थी और उसके तीन बच्चे थे, जिनमें से एक की मृत्यु हो चुकी थी, जबकि अन्य दो बालिग और अच्छी तरह से स्थापित है। यह भी साबित हुआ है कि प्रतिवादी-पति ने शादी के लगभग 25 साल बाद अपीलकर्ता पत्नी को छोडना शुरू कर दिया और भरण-पोषण के दावे को टालने के

लिए, पिछली शादी की एक कहानी गढी, जिसके लिए वह कोई सबूत व कम-ज्यादा स्पष्ट साक्ष्य पेश करने में असफल रहा। इस प्रकार अपने पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के तहत उच्च न्यायालय के लिए यह खुला नही था कि वह ट्रायल कोर्ट के फैसले को रद्द कर दे और प्रतिवादी की अपीलकर्ता-पत्नी को प्रति माह 500/- रूपये के रख रखाव का भुगतान करने से मुक्त कर दे।

16. इस प्रकार प्रतिस्पर्धी पक्षों के विरोधाभासी सस्करणों पर विचार करने और सबूतों परिस्थितियों के प्रकाश में उनके द्वारा दिए गए तर्को पर विचार-विमर्श करने के बाद, हम स्पष्ट रूप से अप्रतिरोध्य निष्कर्ष पर पहुंच गए है कि उच्च न्यायालय ने सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपीलकर्ता पत्नी को भरण-पोषण देने के आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका पर विचार करते समय अपने अधिकार क्षेत्र का गलत प्रयोग किया। इसलिए, हम उच्च न्यायालय के फैसले और आदेश को रद्द करते है और अपीलकर्ता के पक्ष में उसे गुजारा भत्ता देने के मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश को बहाल करते है। तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है।

नोटः यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्रीमती श्वेता भारद्वाज (आर.जे.एस.) न्यायाधिकारी द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।